निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
377/2021	18.03.2021	19/3/26

सोमाती देवी पत्नी राजूलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर——वादिया

बनाम

1. गीतादेवी पत्नी राधेश्याम, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
2. छाजू पुत्र पितराम, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
3. चिरंजीपुत्र पितराम, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
4. छोटूपुत्र पितराम, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, एवं पत्थरगढी

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1 की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एड., प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0न0 4933 रकबा 0.52 है0 ग्राम उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर मे 25/52 हिस्सा वादिया का व 27/52 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। उक्त विवादित भूमि की खातेदारी मे पूर्व मे सुमनदेवी पत्नी बृजलाल, मीना की खातेदारी की भूमि रही है। सुमनदेवी ने उक्त भूमि ख0न0 4933 रकबा 0.52 है0 मे से 25/52 हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर वादिया को विक्रय कर दिया तथा शेष 27/52 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया तथा वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने द्वारा क्रय किये गये हिस्से पर काबिज काश्त रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सरकारी भूमि पर कब्जा करने के आदि है। वर्तमान मे भी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने भूमि ख0न0 4934 जो की नाले की भूमि है तथा ख0न0 4935 पर अवैध रूप से पटवारी की मिली भगत से कब्जा कर रखा है। तथा वादिया की भूमि पर भी कब्जा करने की नीयत रखता है। दिनांक 3.2.21 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की भूमि पर आ गया तथा कहा कि तुम तुम्हारी [illegible] नाप करवा लो मै तो अपनी भूमि पर काबिज हूॅ मै तुम्हारी भूमि पर [illegible] कर रहा हूॅ यह कहते हुए मॉ बहिन की गंदी गंदी [illegible] देने लगा। [illegible] भूमि के विभाजन हेतु पूर्व मे भी दावा प्रस्तुत किया गया था लेकिन उक्त प्रकरण को [illegible] लोक अदालत मे राजीनामे के अनुसार विवादित [illegible] का सीमाज्ञान तहसीलदार से करवाने और भूमि पर एक दूसरे का कब्जा होने पर कब्जा छोड़ने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:16:55 IST
Reason: SelfAttested

सहमति के आधार पर तहसीलदार से विभाजन करवाने तथा विभाजन की सहमति नही होने पर नया दावा पेश करने की छूट के आधार पर दिनांक 28.6.2017 को वादिया ने अपना दावा विदड्रा कर लिया था परन्तु प्रतिवदी संख्या 1 द्वारा लोक अदालत मे की गई सहमति के आधार पर भूमि का विभाजन करवाने मे लगातार आनाकानी कर रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के बहकाबे मे आकर वादिया की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण यह दावा प्रस्तुत किया है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 4933 रकबा 0.52 है0 ग्राम उदेईखुर्द मे से 25/52 दक्षिण दिशा की ओर का हिस्सा जिस पर वादिया काबिज काश्त है तथा जिससे नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है, वादिया की खातेदारी मे पृथक से दर्ज कर उक्त भूमि का खाता पृथक किया जावे तथा इसी अनुसार वादिया व प्रतिवादी सख्या 1 के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जावे तथा वादिया की भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को दिये जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादिया कोउसके खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभाग

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबाब मे वादिया का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 125, 1 ग्राम उदेईखुर्द, नकल नक्शा ट्रेस हाल, नकल निर्णय एसीईम कोर्ट गंगापुर सिटी मु.सं. 15/17 निर्णय दिनांक 28.6.17 उनवानी सोमोती बनाम गीतादेवी वगैरा प्रस्तुत किये है।

वादी का वादपत्र दिनांक 14.8.2025 को प्राथमि डिक्री किया जाकर प्रकरण मे तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम प्राप्त की गई।

तहसीलदार वजीरपुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक 1341 दिनांक 5.12. 2025 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी।

तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन किये जाने पर सहमत है।

बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। पक्षकारान तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने तथा भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:16:55 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. सोमोती देवी पत्नी राजूलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4933/1 रकबा 0.25 है0 ग्राम उदेईखुर्द रहेगी।

2. गीतादेवी पत्नी राधेश्याम, मीना निवासी उदेईखुर्द खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा उदेईखुर्द की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4933/2 रकबा 0.27 है0 ग्राम उदेईखुर्द रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इस खाते मे दर्ज खातेदारों के नाम बैंक का रहन पूर्व की भॉति दर्ज रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं ... वजीरपुर (स0मा0)

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

सोमोती देवी पत्नी राजूलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर——वादिया

वनाम

1. गीतादेवी पत्नी राधेश्याम, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
2. छाजू पुत्र पितराम, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
3. चिरंजीपुत्र पितराम, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
4. छोटूपुत्र पितराम, मीना निवासी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बावत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं पत्थरगढी

मुकदमा नं. — 377/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री संजय कुमार शर्मा, श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. सोमोती देवी पत्नी राजूलाल, मीना निवासी उदेईखुर्द की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4933/1 रकबा 0.25 है0 ग्राम उदेईखुर्द रहेगी।
2. गीतादेवी पत्नी राधेश्याम, मीना निवासी उदेईखुर्द खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा उदेईखुर्द की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4933/2 रकबा 0.27 है0 ग्राम उदेईखुर्द रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इस खाते मे दर्ज खातेदारों के नाम बैंक का रहन पूर्व की भॉति दर्ज रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/3/26 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर वजीरपुर

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:16:55 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बावत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

उप जिला कलक्टर वजीरपुर

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:16:55 IST
Reason: SelfAttested